संख्या:215/2305जेएल/22-3-16-400(4)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी अब्दुल गफ्फार पुत्र मो0 तकी द्वारा पाइल्स/फिस्टुला की बीमारी के के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के फलस्वरूप मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में पीड़ित बंदी को रू0-25,000/- (रू0 पचीस हजार मात्र) अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-15046/सामा-1(5)/बं0चि0-मा0आ0प्रकरण/2016, दिनांक 18-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी अब्दुल गफ्फार पुत्र मो0 तकी द्वारा पाइल्स/फिस्टुला की बीमारी के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के फलस्वरूप मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र/केस संख्या-37566/24/1/2013, दिनांक 24-11-2015 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में उक्त पीड़ित बंदी को रू0-25,000/- (रू0 पचीस हजार मात्र) अंतरिम राहत के भुगतान की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि भुगतान की जानी वाली अंतरिम राहत के समतुल्य धनराशि की वसूली दोषी पायें गये अधिकारियो/कर्मचारियो से कराकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के 101-03-समस्त कारागार के मानक मद्-42-अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि का भुगतान मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24-11-2015 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4- कृपया यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशो का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कृपया उपरोक्त के अनुसार पीड़ित बंदी को अंतरिम राहत का भुगतान तत्काल कराते हुए, भुगतान की पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:215/2305जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निबन्धक (लॉ), मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. जिला मजिस्ट्रेट, आगरा (उ0प्र0)।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
6. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
7. अनु सचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-122-जी/छः-मा0-1-16-3(205)/2015, दिनांक 03-05-2016 के संदर्भ में।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in